

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी

समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 358 / 2007  
संस्थित दिनांक- 17.08.2007

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र-अंजड, जिला बड़वानी म.प्र. ....अभियोजन

वि रू द्ध

1. प्रवीण पिता बसंत शास्त्री,  
आयु-38 वर्ष, जाति-ब्राह्मण,  
निवासी-मारु मोहल्ला, अंजड  
जिला बड़वानी
2. रविन्द्र पिता बसंत शास्त्री,  
आयु-33 वर्ष, जाति-ब्राह्मण,  
निवासी-मारु मोहल्ला, अंजड  
जिला बड़वानी
3. कमला पति उमाशंकर बार्चै,  
आयु-48 वर्ष, जाति-ब्राह्मण,  
निवासी-महेश्वर, जिला खरगोन
4. भावना पति अजय बर्वे,  
आयु-38 वर्ष, जाति-ब्राह्मण,  
निवासी-वल्लभ नगर, खरगोन  
जिला खरगोन
5. ज्योति पति नितीन महोदय,  
आयु-48 वर्ष, निवासी एम.व्ही.डी.ए.  
कॉलोनी, खंडवा, जिला खंडवा .....अभियुक्तगण
6. काशीनाथ पिता नारायण शास्त्री
7. तुलसीबाई पति काशीनाथ शास्त्री .....अभियुक्तगण मृत

---

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्तगण द्वारा	- श्री ए.के. उपाध्याय एवं श्री एल.के. जैन अधिवक्ता ।

---

-: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 19/12/2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 58/2007 अंतर्गत धारा 498-ए सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम' की धारा 3/4 में दिनांक 17.08.2015 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध वर्ष 2007 में मार्च 2007 तक फरियादिया सोनाली के पति एवं पति के रिश्तेदार होते हुए सोनाली को दहेज की मांग की पूर्ति के लिए एवं दहेज की मांग की पूर्ति में असफल रहने पर उसे प्रताड़ित व तंग करने या उसके साथ जानबूझकर ऐसा कृत्य करने जिससे वह आत्महत्या करने हेतु प्रेरित हो। तद्वारा अभियुक्तों ने सोनाली के प्रति क्रूरता कारित करने के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 498-ए के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त प्रवीण सोनाली का पति है, अभियुक्त कमला और ज्योति प्रवीण की बुआ तथा भावना प्रवीण की बहन है, अभियुक्त रविन्द्र सोनाली का देवर है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रकरण चलने के दौरान अभियुक्त काशीनाथ तथा तुलसीबाई की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गयी है तथा पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादिया सोनालीबाई का विवाह प्रवीण के साथ वर्ष 2002 में हुआ था तथा फरियादी के पिता द्वारा उनकी हैसियत से दहेज दिया था। सोनाली, तुलसीबाई, काशीनाथ तथा रवि शामिल मकान में साथ-साथ रहते हैं। अभियुक्तगण सोनाली के साथ आये दिन दहेज को लेकर मारपीट व गाली-गलोच करते रहते हैं। अभियुक्त प्रवीण की मांग करने पर वर्ष 2004 में सोनाली ने उसके माता-पिता के यहाँ ग्राम जामली से 80,000/- रुपये लाकर दिये थे, उसके 2 माह पश्चात् सोनाली ने अपने माता-पिता के यहाँ से 20,000/- रुपये फिर लाकर दिये थे, उसके पश्चात् भी अभियुक्तगण मारपीट करते थे। सोनाली 9 माह तक उसके माता-पिता के यहाँ रही थी और सोनाली ने अपने माता-पिता को ससुराल जाने को कहा था, उसके बाद पुनः 20,000/-रुपये अभियुक्तों को दिये, इस प्रकार सोनाली द्वारा अभियुक्तों को 1,20,000/- रुपये दिये गये थे। उसके पश्चात् अभियुक्त प्रवीण द्वारा फिर सोनाली को अपने माता-पिता के यहाँ से 50,000/- रुपये लाने को कहा था, सोनाली द्वारा नहीं लाने का मना किये जाने पर उसके साथ गाली-गलोच की जाती थी तथा सोनाली को मानसिक एवं प्रताड़नाएँ दी जाती थी तथा जीना दुस्वार कर दिया था। अभियुक्तों द्वारा आये दिन मानसिक एवं शारीरिक यातनाएँ दी जाती थी। अभियुक्तों की दहेज की लालच और बढ़ती जा रही थी और दहेज लाने व आभूषण लाने का बार-बार कहते थे। अभियुक्ता कमलाबाई, ज्योतिबाई व भावना सोनाली ससुराल से आकर उसके साथ आये दिन गाली-गलोच करती थी, सोनाली को अभियुक्तों के आंतक से जान व माल का खतरा रहता था। सोनाली को जान से खत्म करने हेतु दिनांक 03.04.2007 को प्रातः 8.00 बजे प्रवीण, तुलसीबाई एवं रवि ने जहर पिलाया था और कहा था कि यदि किसी को बताया तो उसके बेटे को जान से खत्म कर देंगे। पुलिस ने फरियादी सोनाली द्वारा दिये गये लिखित आवेदन प्रदर्शनी 1 के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 58/2007 अंतर्गत धारा 498-ए सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शनी 2 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान ही पुलिस ने फरियादिया एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 498-ए, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोग-पत्र के आधार पर मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498-ए भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया है, धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में निम्न प्रश्न विचारणीय है कि -

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तों ने वर्ष 2002 से वर्ष मार्च 2007 तक फरियादिया सोनाली के पति एवं पति के रिश्तेदार होते हुए सोनाली को दहेज की मांग की पूर्ति के लिए एवं दहेज की मांग की पूर्ति में असफल रहने पर उसे प्रताड़ित व तंग किया या उसके साथ जानबूझकर ऐसा कृत्य किया, जिससे वह आत्महत्या करने हेतु प्रेरित हो, तद्वारा अभियुक्तों ने सोनाली के प्रति क्रूरता कारित की ?
2	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादिया सोनालीबाई (अ.सा.1), श्रीमती सावित्री (अ.सा.2) राजु (अ.सा.3), राजेश सोनी (अ.सा.4), एस.एस. चौहान (अ.सा.5), डॉ. श्रीमती गायत्री पंडित (अ.सा.6) एवं सहायक उपनिरीक्षक अशोक वर्मा (अ.सा.7) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादिया साक्षी सोनाली (अ.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्तगण को जानती है । उसका विवाह अभियुक्त प्रवीण से 17 फरवरी 2003 को हुआ था, शादी के 5-6 माह पश्चात् उसका पति प्रवीण दहेज की बात को लेकर मारपीट करने लगा, अभियुक्त कमलाबाई, ज्योतिबाई, तुलसीबाई, भावना आदि उसे बोलते थे कि उसके पिता ने दहेज में कुछ नहीं दिया है, अभियुक्त प्रवीण ने उसके साथ मारपीट कर उसके माता-पिता के घर से रुपये 1 लाख लाने का बोला था, तब उसने उक्त अपने माता-पिता को बताया थी, उसका पति प्रवीण उसे जामली छोड़ने गया था, वहां से वर्ष 2004 में वह रुपये 80,000/- लेकर आई थी, जो उसने अपने पति को दिये थे, रुपये देने के 3-4 दिन बाद तक उसे अच्छे से रखा, उसके बाद फिर से उसके पति ने उसके साथ मारपीट कर रुपयों की मांग की, रुपयों की मांग तुलसीबाई, कमला, ज्योति व भावना एवं रवि ने भी की थी । उसने रुपये 80,000/- लाकर देने के 2 माह बाद रुपये 20,000/- अपने माता-पिता से लाकर दिये थे । उक्त रुपये देने के बाद भी ससुराल में विवाद चलता रहा, एक

रात प्रवीण, तुलसीबाई एवं रवि उसके साथ मारपीट कर रहे थे और कहा कि अपने माता-पिता के यहां से और रुपये लेकर आ, हमारे उपर कर्ज है, उसे चुकाना है । उसके पड़ोस में से किसी व्यक्ति ने उसके पिता त्रिभुवन को फोन कर उसके साथ हुई घटना की सूचना दी थी, तब दूसरे दिन उसके माता-पिता ससुराल आए, तब उसके उसके पति, दादा ससुर और दादी सास ने उसके माता-पिता के साथ गाली-गालौज की थी तथा रवि ने उसके पिता का गला दबा दिया था । उसके माता-पिता उसे अपने ससुराल से जामली ले गये थे, जहां वह 9 माह तक रही, उसने अपने पिता को वापस ससुराल जाने की बात बतायी थी, तब उसके पिता व परिवार के अन्य बड़े बुजुर्ग उसे ससुराल छोड़ने आए थे । ससुराल वालों ने उसे कुछ दिनों तक अच्छे से रखा, फिर उसके साथ गाली-गालौज, मारपीट करने लगे, इसके बाद प्रवीण एवं दादी ने उसके माता-पिता के घर से 20,000/-रुपये लाने का कहा, तब उसने 20,000/-रुपये अपने माता-पिता के घर से लाकर दिये थे, उसने अपने माता-पिता के घर से ससुराल वालों को कुल 1,20,000/-रुपये लाकर दिये थे, उसके बाद अभियुक्त प्रवीण, तुलसीबाई, कमलाबाई, ज्योति, और अभियुक्त रवि ने अपने माता-पिता के घर से 50,000/-रुपये लेकर आने का कहा था, तब उसने 50,000/-रुपये लाकर देने से मना कर दिया था। उसके रुपये लाकर देने से इन्कार करने पर अभियुक्त प्रवीण, तुलसीबाई, रवि ने उसके साथ मारपीट की थी ।

8. इसी साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक 3 अप्रैल 2007 को अभियुक्त प्रवीण, तुलसीबाई एवं रवि ने उसे जबरदस्ती जहर पिला दिया था तथा उसे धमकी दी थी कि जहर पिलाने वाली बात अगर पुलिस को या अन्य किसी को बतायी तो उसके पुत्र हंसराज को भी जान से खत्म कर देंगे । अभियुक्त प्रवीण ने उसे अंजड़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था और उसके माता-पिता को किसी ने फोन पर सूचना दी थी तब उसके माता-पिता के साथ अन्य रिश्तेदार भी उसकी खबर लेने अस्पताल में आए थे । उसे जहर पिलाने वाली घटना के बाद थाने से उसके बयान लेने के लिये पुलिस आई थी, किंतु उसने डर के कारण स्वयं जहर पीना बता दिया था तथा उसकी शादी का वर्ष 2002 भी घबराहट में बता दिया था । उसके माता-पिता उसे अंजड़ अस्पताल से खरगोन अस्पताल ले गये था, जहां उसका ईलाज हुआ था । घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना अंजड़ पर की थी, किंतु पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी, तब वह और उसके पिता बड़वानी पुलिस अधीक्षक के पास गये थे और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बड़वानी को लिखित में आवेदन दिया था । वहां से उसे पुलिस थाना बड़वानी भेजा था, जहां उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.1 की दर्ज करायी थी, जिसे ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

9. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में फरियादिया ने स्वीकार किया है कि उसके दादा ससुर काशीनाथ की मृत्यु हो चुकी है, कमलाबाई जो उसकी बुआ सास है, वह महेश्वर में रहती है, ज्योतिबाई उसकी बुआ सास है, जो खंडवा में रहती है एवं भावना जो उसकी ननंद है, वह खरगोन में रहती है । यह भी स्वीकार किया है कि उसकी शादी के पूर्व ही उसकी दोनों बुआ सास एवं ननंद की शादी हो गयी थी एवं शादी के पूर्व से उसकी बुआ सास एवं ननंद उनके ससुराल में ही रह रही हैं । यह भी स्वीकार किया है कि वर्ष 2002 में उसका विवाह नहीं हुआ था । फरियादिया ने स्पष्ट कहा कि उसका विवाह वर्ष 2003 में हुआ था और भूलवश उसने 2003 के स्थान पर वर्ष 2002 बता दिया था । फरियादिया ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया कि अभियुक्त रविन्द्र उर्फ रवि की मानसिक स्थिति वर्ष 2007 में खराब थी।

फरियादिया ने यह स्वीकार किया कि उसने विवाह के 5-6 माह पश्चात् अभियुक्त प्रवीण द्वारा मारपीट करने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की थी और शेष अभियुक्तों द्वारा दहेज मांगने के संबंध में भी कोई रिपोर्ट नहीं की थी ।

10. फरियादिया ने स्वीकार किया कि उसे कमलाबाई, ज्योतिबाई एवं भावना के घर आने की दिनांक जिस समय उन्होंने मारपीट एवं दहेज की मांग की थी, याद नहीं है । फरियादिया ने स्वीकार किया कि अभियुक्त प्रवीण के घर के आसपास मोहनलाल सोनी, सुंदर सोनी तथा सामने की ओर भावसार लोग रहते हैं, किनारे में भी भावसार जी का मकान है । वह कमलाबाई पति सुरेश मिस्त्री, शिवजी पिता बालुजी कुमावत, गीताबाई पति शिवजी मारु को नाम से नहीं जानती है । फरियादिया ने स्वीकार किया कि उसे प्रवीण द्वारा एक लाख रुपये की मांग करने की दिनांक याद नहीं है, साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त प्रवीण द्वारा एक लाख रुपये मांगे जाने की बात उसके पिता को बतायी थी, तब उसके पिता ने रुपये 80,000/- दिये थे तो उसने प्रवीण को दिये थे और प्रवीण ने उसे बताया था कि उसे कर्जे के रुपये चुकाना है । यह स्वीकार किया कि उसे 80,000/-रुपये लेकर आने की दिनांक याद नहीं है । उसके पिता ने 80,000/-रुपये बैंक से निकालकर नहीं दिये थे, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसके पिता का बैंक खाता नहीं है, उसके पिता पंडिताई का कार्य उसके विवाह के पूर्व से करते हैं । उसकी प्रवीण से सगाई के 2-3 माह उपरांत शादी हुई थी, उक्त अवधि में अभियुक्त प्रवीण उनके घर एक-दो बार आया था । अभियुक्त प्रवीण को विवाह के पूर्व ही उसके पिता की आर्थिक स्थिति की जानकारी हो गयी थी ।

11. फरियादिया ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे अभियुक्तों द्वारा मारपीट किये जाने की दिनांक याद नहीं है तथा उसके पिता को किस व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी थी, वह दिनांक भी याद नहीं है । उसे वह दिनांक भी याद नहीं है जब अभियुक्तों ने उसके माता-पिता के साथ गाली-गालौज की थी और रवि ने उसके पिता का गला दबाया था । यह स्वीकार किया कि उसने उसके माता-पिता के साथ मारपीट कर गला दबाने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की थी और उसके माता-पिता ने भी नहीं की है । यह स्वीकार किया है कि वह 9 माह तक अपने माता-पिता के साथ ग्राम जामली में रही थी, उस समय भी उसने अभियुक्तों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं की थी । यह स्वीकार किया है कि उसे वापस अंजड़ आने एवं उसके पश्चात् पुनः उसके साथ मारपीट किये जाने की दिनांक याद नहीं है एवं उसके पश्चात् 20,000/- रुपये मांगने पर लाकर देने की दिनांक भी याद नहीं है ।

12. फरियादिया ने यह भी स्वीकार किया है कि उससे अभियुक्तों ने 2 अप्रैल 2007 को रुपये 50,000/- मांगे थे, उसके पश्चात् 3 अप्रैल को उसे दवा पिलायी थी । फरियादिया ने स्वीकार किया कि 2 अप्रैल को कमलाबाई, ज्योतिबाई एवं भावना उनके ससुराल में थी, फरियादिया ने स्पष्ट किया कि फोन पर दवाई पिलाने का कहा होगा । यह स्वीकार किया कि उसके पिता त्रिभुवन के काका की पुत्री का विवाह उमरखली में हुआ है । फरियादिया ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसके पिता को वर्ष 2004 में हार्टअटैक आया था । इस सुझाव से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि उस समय उसके पिता को हार्टअटैक में अभियुक्त प्रवीण ने उसकी अंगूठी और चेन गिरवी रखकर उनकी मदद की थी । फरियादिया ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है

कि वह हर 8 से 15 दिन में अपने माता-पिता के घर जाती थी । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके पुत्र की जलवाय का कार्यक्रम ग्राम जामली में हुआ था, जहां अभियुक्त प्रवीण अपने परिवार के साथ आया था, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके माता-पिता ने प्रवीण से कहा था कि वह उसे अलग लेकर रहे ।

13. फरियादिया ने स्वीकार किया है कि श्रीकृष्ण बार्चे उसकी बड़ी बुआ के जेठ हैं और उसके और ससुराल वालों के मध्य समझौते की बात कराने श्री कृष्ण बार्चे आए थे । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि श्री कृष्ण बार्चे के सामने उसके माता-पिता एवं उसने यह स्वीकार किया था कि प्रवीण उसके परिवार से अलग लेकर रहे, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि प्रवीण ने श्री कृष्ण बार्चे के समक्ष यह स्वीकार किया कि उसने चेन और अंगूठी तोड़ दी है । फरियादिया ने स्वीकार किया है कि देवेन्द्र सोनी उसके पापा की मौसी का पुत्र है एवं यह भी स्वीकार किया है कि प्रवीण विवाह के समय नौकरी नहीं करता था, साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त की सीडी. डिस्क की दुकान है । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसके माता-पिता एवं देवेन्द्र सोनी ने अभियुक्त प्रवीण से नौकरी करने का कहा था, साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त प्रवीण की दादी ने प्रवीण से नौकरी करने को कहा था एवं प्रवीण की दादी ने उसके माता-पिता से भी कहा था कि वे उसे नौकरी लगवा दें । फरियादिया ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके माता-पिता ने कहा था कि देवेन्द्र सोनी से कहकर प्रवीण को नौकरी लगवा देंगे । साक्षी का कथन है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पिता ने प्रवीण से कहा था कि नौकरी लगाने हेतु 80,000/-रुपये की आवश्यकता होगी एवं उस समय प्रवीण की आर्थिक स्थिति 80,000/- रुपये देने की थी या नहीं । फरियादिया ने यह भी स्वीकार किया कि वह उसके ससुराल में सुबह 5-6 बजे उठकर काम करने लगती थी तथा प्रवीण 9-10 बजे उठता था । साक्षी को यह सुझाव भी दिया गया है कि उसे दवा पिलायी जाने के एक दो दिन पूर्व उसके साथ अभियुक्तों द्वारा की गयी मारपीट में हाथ एवं मुंह पर चोटे आई थीं, लेकिन अंजड़ अस्पताल में उन चोटों का ईलाज नहीं हुआ था ।

14. फरियादिया ने यह भी स्वीकार किया है कि दवाई वाली घटना 3 अप्रैल 2007 की है । यह भी स्वीकार किया है कि 3 अप्रैल 2007 को पुलिस ने उसके कथन लेखबद्ध किये थे । यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बताया था कि दवाई उसने पी ली है, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने यह इसलिए बताया था कि अभियुक्तों ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने ऐसा नहीं बताया तो वे उसके पुत्र हंसराज को नुकसान पहुँचायेगे । फरियादिया ने यह स्वीकार किया कि 3 अप्रैल 2007 के पश्चात् दूसरी बार उसके कथन पुलिस ने बड़वानी में लिये थे एवं 10 अप्रैल एवं 27 अप्रैल को पुलिस ने उसके पुनः कथन लिये थे, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसे दिनांक याद नहीं है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को आवेदन किस दिनांक को दिया था, उसे याद नहीं है । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने 3 अप्रैल 2007 के पश्चात् जामली या खरगोन थाने में भी अभियुक्तों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं की थी ।

15. फरियादिया ने यह याद होने से इन्कार किया है कि 3 अप्रैल 2007 के पश्चात् उसे मालूम पड़ा था कि अभियुक्त उनके विरुद्ध रिपोर्ट कर रहे हैं । यह स्वीकार किया है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि अभियुक्त प्रवीण एवं उसके

परिवार वाले उनके विरुद्ध रिपोर्ट करने वाले हैं । फरियादिया ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके पिता ने उससे कहा था कि अभियुक्तों के रिपोर्ट करने से पहले वे रिपोर्ट कर दें । फरियादिया ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उन्होंने अभियुक्तों द्वारा की जाने वाली रिपोर्ट से बचने के लिये पुलिस अधीक्षक बड़वानी को आवेदन दिया था, साक्षी ने स्पष्ट किया कि अंजड़ पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही थी, इसलिए पुलिस अधीक्षक बड़वानी को आवेदन दिया था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि आवेदन पत्र खरगोन में टाईप करवाया होगा, साक्षी ने स्वीकार किया कि आवेदन उसने तथा उसके पिता ने साथ जाकर टाईप कराया था । यह भी स्वीकार किया है कि खरगोन में किस स्थान पर टाईप करवाया था, इसी उसे जानकारी नहीं है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्र.डी.1 के आवेदन-पत्र के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने प्र.डी.1 के बी से बी भाग कुछ पंक्तियां बाद में जुड़वाई हैं ।

16. फरियादिया ने स्वीकार किया कि उसने 3 अप्रैल 2007 को पुलिस को दिये अपने कथन में अभियुक्त प्रवीण, तुलसीबाई और रविन्द्र के नाम बताये थे, शेष अभियुक्तों के नाम नहीं बताये थे, क्यों नहीं बताये थे, वह उसका कारण नहीं बता सकती । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने प्रवीण एवं तुलसीबाई के अलावा शेष अभियुक्तों के नाम 27 अप्रैल को पुलिस को उन्हें मिथ्या फँसाने के लिये बताये थे ।

17. साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने स्वयं ने चुहा मार दवाई खाई थी, साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसे प्रवीण ने चुहा मार दवा पिलायी थी । साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रवीण उसे अस्पताल लेकर गया था और उसने ही अस्पताल में चिकित्सक को यह बताया था कि उसने चुहा मार दवाई पी ली है, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसने अपने पुत्र के कारण मजबूरी में बताया था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब वह अंजड़ अस्पताल में थी, तब उसके माता-पिता के साथ उसके मायके से 7-8 लोग आये थे उस समय उसने उसके माता-पिता एवं अन्य व्यक्तियों को यह नहीं बताया था कि उसे दवाई किसने पिलाई थी । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि 3 अप्रैल 2007 के एक वर्ष पूर्व से अभियुक्त ज्योतिबाई, भावना एवं कमलाबाई अंजड़ नहीं आते थे एवं अभियुक्त रवि उर्फ रविन्द्र मानसिक रूप से अस्वस्थ था तथा वर्ष 2005 से उसका ईलाज चल रहा था ।

18. साक्षी ने इस सुझाव से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि अभियुक्त तुलसीबाई शारीरिक रूप से कमजोर होकर प्रवीण पर आश्रित थी एवं उसका प्रवीण से अपने दादा-दादी से अलग रहने का विवाद होता था और उसी विवाद के कारण वह परिवार को छोड़कर अपने माता-पिता के घर चली गयी थी । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि अभियुक्त प्रवीण एवं अन्य अभियुक्तों ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी एवं अभियुक्तों ने कर्ज या खर्च के संबंध में रूपयों की मांग नहीं की थी । यह भी अस्वीकार किया है कि उसने अपने माता-पिता एवं परिजन से कोई रुपये लाकर अभियुक्तों को नहीं दिये थे । यह भी अस्वीकार किया है कि उसे किसी ने भी कभी कोई चुहा मार दवाई नहीं पिलायी थी, इसलिए उसने 3 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कोई रिपोर्ट नहीं की थी । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि 3

अप्रैल 2007 के बाद उसने एवं उसके माता-पिता, परिजनों ने सोच-विचार कर अभियुक्तों के विरुद्ध इसलिए रिपोर्ट की थी कि वह अभियुक्त प्रवीण के साथ रहना नहीं चाहती है एवं अपने माता-पिता के कहने से असत्य रिपोर्ट की है ।

19. इस प्रकार फरियादिया के संपूर्ण प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादिया ने अभियुक्त पक्ष के समस्त सुझावों से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है तथा फरियादिया द्वारा मुख्य परीक्षण में किये गये उक्त कथनों का कोई भी खंडन बचाव-पक्ष की ओर से नहीं हुआ है ।

20. साक्षी श्रीमती सावित्रीबाई (अ.सा.2), राजु (अ.सा.3), राजेश सोनी (अ.सा.4) ने भी अभियुक्त प्रवीण द्वारा फरियादिया के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट किये जाने और शेष अभियुक्तों द्वारा उसे प्रताड़ित किये जाने के संबंध में कथन किये हैं । साक्षियों का यह भी कथन है कि फरियादिया सोनाली ने उन्हें बताया था कि अभियुक्तगण उसे मायके से एक लाख रुपये लाने की बात बोलते हैं, तब सोनाली के पिता ने उसे एक बार रुपये 80,000/- और उसके 2-3 माह बाद बाकी 20,000/-रुपये देकर ससुराल भेजा था, उसके बाद भी ससुराल वाले उसे दहेज की मांग के लिये प्रताड़ित करते थे ।

21. साक्षी श्रीमती सावित्रीबाई (अ.सा.2) का यह भी कथन है कि 20,000/-रुपये देने के बाद ससुराल में फिर विवाद हुआ, ससुराल वाले उसे दहेज के लिये प्रताड़ित करने लगे तथा मारपीट करने लगे । साक्षी का यह भी कथन है कि सोनाली के पिता के पास अंजड़ से फोन आया था, तब वे लोग अंजड़ गये थे, सोनाली के ससुराल पहुँचे थे, तो वहाँ रविन्द्र ने उनके साथ गाली-गालौज की थी एवं सोनाली के पिता का गला पकड़ लिया था, तब वे सोनाली को लेकर जामली आ गये थे । 9 माह तक सोनाली को रखा था, 9 माह बाद वह और उसके पति तथा गांव के 6-7 व्यक्ति सोनाली का ससुराल छोड़ने गये थे, तब उन्होंने सोनाली के ससुराल वालों को समझाया था और ससुराल वालों ने कहा था कि सोनाली को अच्छे से रखेंगे । सोनाली को 5 माह तक अच्छे से रखा था, उसके पश्चात् सोनाली के ससुराल वालों ने 20,000/-रुपये की मांग की थी, तो उन्होंने व्यवस्था कर सोनाली को ससुराल भेज दिये थे, फिर सोनाली से उसके ससुराल वालों ने पुनः 50,000/-रुपये की मांग की थी तथा सोनाली के ससुराल वालों ने यह भी कहा था कि वह रुपये लेकर नहीं आएगी, तब सोनाली को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे थे ।

22. साक्षी का यह भी कथन है कि सोनाली को प्रवीण, रवि ने चुहामार दवा पिला दी थी, उनके पास फोन आया था, तब वे लोग अस्पताल गये थे, तब सोनाली परेशान लग रही थी, फिर वे लोग सोनाली को खरगोन अस्पताल ले गये थे और वहाँ से जामली ले गये थे । उन लोगों ने जामली में सोनाली से पूछताछ की थी तब सोनाली ने बताया था कि दवा प्रवीण, रवि एवं तुलसीबाई ने पिलाई थी, तब सोनाली ने ससुराल वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया था ।

23. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि सोनाली की बुआ सास महेश्वर में रहती है एवं अभियुक्त ज्योतिबाई सोनाली की बुआ सास खंडवा में रहती है एवं अभियुक्त भावना सोनाली की ननंद है और उसका विवाह हो चुका है, जो खरगोन में रहती है । यह भी स्वीकार किया है कि उक्त तीनों



का विवाह उसकी पुत्री सोनाली के विवाह के पूर्व हो चुका था । यह स्वीकार किया है कि घटना के समय अभियुक्त तुलसीबाई 70-75 वर्ष की थी । यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्त रवि मानसिक रूप से अस्वस्थ था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री को ससुराल वाले परेशान करते थे, तब उन्होंने इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की थी और दवा पीने या पिलाने वाली घटना के पूर्व तक उनके द्वारा प्रवीण एवं उसके ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज के लिये प्रताड़ित करने एवं मारपीट करने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की थी । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी पुत्री से मिलने अंजड़ जाती थी । अभियुक्त प्रवीण के घर के आसपास किन लोगों के मकान हैं, वह नहीं जानती है । वह तारीख नहीं बता सकती जब सोनाली के ससुराल वालों ने एक लाख रुपये की मांग की थी एवं वह तारीख नहीं बता सकती जब उन्होंने 80,000/-रुपये दिये थे, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि 80,000/-रुपये वर्ष 2004 में दिये थे । साक्षी ने स्वीकार किया है कि सोनाली की सगाई के एक माह बाद उसका विवाह कर दिया था और सगाई के पूर्व प्रवीण एवं उसके परिवार वाले उनके घर आए थे एवं विवाह के पूर्व भी आए थे और प्रवीण एवं उसके परिवार वालों को उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी थी ।

24. साक्षी ने स्वीकार किया है कि सोनाली 9 माह तक उनके पास ग्राम जामली में रही थी, इस दौरान भी उन्होंने प्रवीण एवं उसके परिवार वालों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं की थी । यह अस्वीकार किया है कि वर्ष 2004 में उसके पति को हार्टअटैक आया था, तब अभियुक्त प्रवीण ने उसकी चेन तथा अंगूठी गिरवी रखकर उनकी मदद की थी । साक्षी ने यह सुझाव स्वीकार किया है कि सोनाली के पुत्र की जलवाय हुई थी, तब प्रवीण एवं उसका परिवार जामली आए थे, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि तब उसने और उसके पति ने प्रवीण से कहा था कि वह सोनाली को लेकर अलग रहे । साक्षी ने स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण बार्चे ने दोनों पक्षों में समझौते का प्रयास किया था । यह अस्वीकार किया है कि उन्होंने देवेन्द्र सोनी एवं प्रवीण से कहा था कि वह कोई नौकरी करे एवं उसके पति ने प्रवीण से नौकरी लगवाने के लिये 80,000/-रुपये की मांग की थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि जब सोनाली चुहा मार दवा पीने के कारण अंजड़ अस्पताल में भर्ती थी, उस दिन पुलिस वालों ने सोनाली के कथन लिये थे, तब वह बाहर खड़ी थी ।

25. इस साक्षी के पुलिस कथन एवं न्यायालयीन कथन में आए विरोधाभास के संबंध में साक्षी से प्रश्न पूछे गये हैं, लेकिन उक्त कथनों में विरोधाभास एवं विसंगतियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं कि जिससे साक्षी के संपूर्ण कथन ही अविश्वसनीय माने जाए । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि प्रवीण ने एवं उसके परिवार वालों ने कभी भी पैसों की मांग नहीं की अथवा सोनाली को प्रवीण या उसके परिवार के लोगों द्वारा चुहा मार दवा नहीं पिलाई थी तथा उन्होंने सोच-विचार कर असत्य रिपोर्ट दर्ज करवायी है ।

26. साक्षी राजु (अ.सा.3) का यह भी कथन है कि एक लाख रुपये देने के बाद सोनाली के ससुराल वालों ने फिर 50,000/-रुपये की मांग की थी, तब सोनाली ने मना कर दिया था, उसके बाद सोनाली द्वारा चुहा मार दवाई पी ली थी, अंजड़ अस्पताल से वे लोग सोनाली को खरगोन अस्पताल ले गये थे, उसके बाद

जामली ले गये थे, उसके बाद सोनाली ने यह बताया था कि उसके प्रति प्रवीण एवं देवर रविन्द्र ने चुहा मार दवाई पिला दी थी एवं धमकी दी थी कि अगर उसने यह बात किसी को बतायी तो उसके पुत्र हंसराज को को जान से खत्म कर देंगे । सोनाली ने उसके साथ हुई घटना की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक बड़वानी को की थी ।

27. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि सोनाली को उसके परिवार वालों द्वारा प्रताड़ित करने की बात उन्हें सोनाली जब ससुराल से मायके आती थी, तब बताती थी, लेकिन उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज नहीं करवायी थी और समाज के लोगों को इकट्ठा कर चर्चा भी नहीं की थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके भाई के द्वारा वर्ष 2004 में सोनाली को 80,000/-रुपये दिये थे, उसके पश्चात् 3-4 माह पश्चात् फिर 20,000/-रुपये दिये थे और सोनाली के पिता ने उक्त रुपये किस जगह से प्राप्त वह नहीं बता सकता । यह स्वीकार किया है कि उसके काका की पुत्री का विवाह ग्राम उमरखली में हुआ था, लेकिन काका की पुत्री ने दहेज का प्रकरण नहीं लगाया था, साक्षी ने स्पष्ट किया कि विवाह के दो माह बाद मारपीट की घटना हुई थी, उसका केस लगाया था, उसके बाद विवाह-विच्छेद हो गया था । यह अस्वीकार किया है कि उसके भाई को वर्ष 2004 में हार्टअटैक आया था, उस समय प्रवीण ने चेन एवं अंगूठी रखकर मदद की थी । यह स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण बार्चे ने समझौते का प्रयास किया था । यह स्वीकार किया है कि जब वे अंजड़ आए थे, तब सोनाली अस्पताल में थी और जिस दिन चुहा मार दवाई सोनाली ने खाई थी, उस दिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी अथवा सोनाली की रिपोर्ट अंजड़ में नहीं हुई थी । सोनाली की रिपोर्ट अंजड़ में नहीं लिखी थी तब सोनाली ने बड़वानी में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्रवीण एवं उसके परिवार वालों ने सोनाली के साथ दहेज की मांग को लेकर कोई मारपीट या प्रताड़ना नहीं की थी एवं प्रवीण एवं उसके परिवार वालों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है तथा सोनाली का काका होने से आज उसके पक्ष में असत्य कथन कर रहा है ।

28. साक्षी राजेश सोनी (अ.सा.4) का भी कथन है कि सोनाली ने उसे बताया था कि उसके ससुराल वाले रुपये की मांग करते हैं, तब सोनाली के पिता ने 80,000/-रुपये आभूषण गिरवी रखकर दिये थे और उसके पश्चात् 2-4 माह बाद पुनः 20,000/-रुपये दिये थे, उसके बाद सोनाली 5-6 माह तक ससुराल में रही थी, फिर उसके ससुराल वालों ने 50,000/-रुपये की मांग पुनः की थी, तब फिर सोनाली उसके मायके वापस आ गयी थी तथा 9 माह तक रही, फिर गांव के लोगों ने समझा-बुझाकर उसके ससुराल अंजड़ वापस भेज दिया था । सोनाली ने ससुराल में दवा पी ली थी, तब उसे ईलाज के लिये खरगोन भेजा गया था तब उसने बताया था कि उसके ससुराल वालों ने दवाई पिला दी थी ।

29. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे जानकारी नहीं है कि 80,000/-रुपये सोनाली को किस दिनांक को दिये थे, लेकिन वह उस समय वहां नहीं था । सोनाली ने ही उसे 80,000/-रुपये देने की बात बतायी थी तथा 20,000/-रुपये देने की बात भी सोनाली ने बतायी थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि सोनाली जब भी मायके आती थी सुख से नहीं रहना बताती । सोनाली जब भी जामली आती थी, उसके शरीर पर मारपीट एवं चोटों के निशान दिखते थे । उसने सोनाली के सिर के पीछे व गाल में चोट के निशान एक दो

बार देखे थे । साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने सोनाली के माता-पिता से सोनाली की चोटों के बारे में बातचीत नहीं की थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रवीण एवं उसके परिवार वाले कभी भी सोनाली को लेने नहीं आए थे और हर बार सोनाली के परिवार वाले सोनाली को सुसराल छोड़ने जाते थे । यह स्वीकार किया है कि उसके एवं सोनाली के परिवार वालों के अच्छे संबंध हैं और आज वह सोनाली के भाई के साथ साक्ष्य देने आया है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे ओमप्रकाश ने ही यह बताया है कि इस प्रकार बयान देना है और उसी आधार पर वह बयान दे रहा है, लेकिन साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि सोनाली ने अभियुक्त प्रवीण के व्यवहार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी और उसके सोनाली के परिवार से संबंध होने के कारण असत्य कथन कर रहा है ।

30. साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह सोनाली के भाई के कहने से कथन कर रहा है, लेकिन साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसे सोनाली ने अभियुक्त के व्यवहार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षी ने स्वीकारोक्ति भूलवश की गयी है कि वह सोनाली के भाई के कहने से कथन कर रहा है । इस साक्षी के पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान लिये गये द.प्र.सं. की धारा-161 के तहत कथन प्रकरण में संलग्न हैं तथा साक्षी के पुलिस द्वारा लिये गये कथन न्यायालय में दिये गये कथन के अनुरूप ही हैं, ऐसी स्थिति में साक्षी की उक्त स्वीकारोक्ति के अनुसार पुलिस को कोई कथन नहीं देना कि वह फरियादी के भाई के कहने से कथन कर रहा है, भूलवश या भ्रमवश स्वीकार करना प्रतीत होता है ।

31. साक्षी डॉक्टर गायत्री पंडित (अ.सा.6) का कथन है कि दिनांक 03.04.07 को वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थी, उक्त दिनांक को प्रवीण उसकी पत्नी सोनाली आयु- 25 वर्ष, निवासी अंजड़ को चुहे मार दवाई खा लेने पर ईलाज हेतु उसके पास लेकर आया था । उसके द्वारा आहत का चिकित्सकीय परीक्षण कर उसे भर्ती किया था । साक्षी ने उसका चिकित्सकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.4 भी प्रमाणित किया है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत ने उसे बताया था कि उसने स्वयं ने चुहा मार दवा खा ली है । यह स्वीकार किया है कि उसने यह नहीं बताया था कि उसे किसी अन्य व्यक्ति ने चुहा मार दवा खिला दी है । यह भी स्वीकार किया है कि आहत के शरीर पर अन्य कोई चोटों के निशान नहीं थे । उसने आहत को ईलाज के लिये जिला चिकित्सालय बड़वानी भेज दिया था ।

32. साक्षी एस.एस. चौहान (अ.सा.5) का कथन है कि वह दिनांक 19.04.07 को थाना अंजड़ में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को उसे पुलिस थाना बड़वानी से प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.1 की आरोपीगण प्रवीण एवं अन्य के विरुद्ध लिखित में प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर उसने अपराध क्रमांक 58/07 प्र.पी.2 का दर्ज की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादिया ने थाना अंजड़ में मौखिक रूप से या लिखित में कोई रिपोर्ट नहीं की थी । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि फरियादिया के द्वारा दिनांक 03.04.07 को चुहा मार दवा खाने के संबंध

में एम.एल.सी. बनकर थाना अंजड़ आई थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे जो रिपोर्ट लिखित में प्राप्त हुई थी, उसी के आधार पर उसने रिपोर्ट दर्ज की है ।

33. साक्षी अशोक वर्मा (अ.सा.7) का कथन है कि दिनांक 27.04.07 को अपराध क्रमांक 58/07 की विवेचना के दौरान फरियादिया सोनाली, साक्षी त्रिभुवन, अमरसिंह, सावित्रीबाई, राजू तथा राजेश के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी, तब उसमें सोनाली शास्त्री के कथन संलग्न थे । यह अस्वीकार किया है कि उसने फरियादी एवं साक्षीगण के कोई कथन नहीं लिये थे अथवा उसने कथन अपनी मर्जी से लेखबद्ध कर लिये थे । यह स्वीकार किया है कि उसने फरियादी के ससुराल वालों के आसपास निवास करने वाले व्यक्तियों के कथन लेखबद्ध नहीं किये थे ।

34. अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण के तीन अभियुक्त कमलाबाई, भावना एवं ज्योति के संबंध में फरियादिया एवं सभी साक्षियों ने स्वीकार किया है कि तीनों की शादियां हो चुकी हैं और वे अपने परिवार में निवास करती हैं । किसी भी अभियोजन साक्षी ने उक्त अभियुक्तों कमलाबाई, ज्योतिबाई, भावना द्वारा फरियादिया से दहेज की मांग कर मारपीट करने एवं कूरता करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं तथा अभियुक्त रविन्द्र शास्त्री के संबंध में भी किसी भी साक्षी का यह कथन नहीं है कि उसके द्वारा दहेज की मांग को लेकर सोनाली के साथ मारपीट कर कूरता की गयी थी । अभियुक्त प्रवीण द्वारा फरियादिया के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट या कूरता किये जाने के संबंध में भी अभियोजन साक्षियों के कथनों में विरोधाभास एवं विसंगतियां हैं और किसी भी साक्षी ने वह तारीख, महीना या समय नहीं बताया है, जब प्रवीण द्वारा सोनाली के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट या कूरता की गयी है । उनका यह भी तर्क है कि विवाह के बाद फरियादिया अपने ससुराल में रहती थी, लेकिन ससुराल के आसपास रहने वाले किसी भी व्यक्ति के कथन विवेचना के दौरान लेखबद्ध नहीं किये गये हैं, ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक शंकास्पद हो जाती है ।

35. फरियादिया सोनाली (अ.सा.1) ने अभियुक्त प्रवीण द्वारा विवाह के 5-6 माह बाद उसके साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट किये जाने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं । साक्षी का यह भी कथन है कि प्रवीण ने उसके साथ मारपीट कर उसके माता-पिता के यहां से एक लाख रुपये लाने का कहा था, तब उसने रुपये माता-पिता के यहां से लाकर एक बार 80,000/-रुपये तथा दूसरी बार 20,000/-रुपये दिये थे, उसके बाद भी ससुराल में विवाद होता रहा, तब उसके माता-पिता उसे मायके ले गये तथा 9 माह तक मायके में रही, उसके बाद उसने फिर एक बार 20,000/-रुपये लाकर प्रवीण को दिये और उसके बाद 50,000/-रुपये की मांग करने पर उसने पैसे देने से मना कर दिया, तब दिनांक 03 अप्रैल 2007 को प्रवीण और रविन्द्र ने उसे जबरदस्ती जहर पिला दिया और उसे धमकी दी कि यदि किसी को यह बात बतायी तो सोनाली के पुत्र हंसराज को जान से खत्म कर देंगे, उक्त संपूर्ण कथन का बचाव-पक्ष की ओर से किये गये विस्तृत प्रतिपरीक्षण में कोई भी खंडन नहीं हुआ है ।

36. श्रीमती सावित्रीबाई (अ.सा.2), राजु (अ.सा.3), राजेश सोनी (अ.सा.4) ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए सोनाली के साथ प्रवीण द्वारा दहेज की मांग कर मारपीट करने और रूपयों की मांग करने पर एक लाख रूपये सोनाली द्वारा उसके पिता से लाकर देने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं, जिसका कोई भी खंडन बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं है। यहां तक कि अभियोजन के साक्षी श्रीमती सावित्रीबाई (अ.सा.2), राजु (अ.सा.3) और राजेश (अ.सा.4) ने वर्ष 2004 में सोनाली द्वारा प्रवीण को मायके से लाकर एक लाख रूपये दिये जाने का वर्ष भी बताया है, साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोई विरोधाभास नहीं है। जहां तक उनके कथनों में आए छोटे-छोटे विरोधाभास एवं विसंगतियों का प्रश्न है, वहां इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यह घटना वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2007 के बीच की है तथा साक्षियों के कथन घटना के लगभग 7 वर्ष बाद न्यायालय में हुए हैं और साक्षीगण ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, ऐसी स्थिति में साक्षियों के कथनों में आए मामूली विरोधाभास एवं विसंगतियां स्वाभाविक हैं और इससे उनकी विश्वसनीयता और भी अधिक प्रमाणित होती है तथा उन्हें पढ़ाये और सीखाए जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

37. साक्षी डॉ. गायत्री पंडित (अ.सा.4) ने भी दिनांक 03.04.07 को सोनाली शास्त्री का मेडिकल-परीक्षण करने पर उसके द्वारा चुहा मार दवाई खा लेने के बाद ईलाज कराना बताया है। साक्षी का यह भी कथन है कि सोनाली ने बताया था कि उसने स्वयं चुहा मार दवा खा ली, लेकिन इस संपूर्ण कथन का स्पष्टीकरण सोनाली की ओर से दिया गया है कि उसे यह धमकी दी गयी थी कि यदि सोनाली ने उनके द्वारा चुहा मार दवाई पिलाने की बात किसी को बतायी तो उसके पुत्र हंसराज को जान से खत्म कर देंगे। सोनाली द्वारा दिया गया उक्त स्पष्टीकरण घटना के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः स्वाभाविक प्रतीत होता है। एक स्त्री जो कि अपने ससुराल में निवास कर रही है और उसके अपने पति एवं ससुराल वालों से तनावपूर्ण संबंध हैं, यदि उसे ससुराल वालों द्वारा उसके पुत्र के संबंध में कोई धमकी दी जाती है तो उसके द्वारा भयभीत होकर अपने पुत्र के बचाव के लिये स्वयं द्वारा चुहा मार दवाई पीना डॉक्टर को बताया जाना अत्यंत स्वाभाविक है, जिसके आधार पर फरियादिया के प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

38. फरियादिया एवं उसके साक्षियों का स्पष्ट कथन है कि उसके बाद वे ईलाज के लिये सोनाली को खरगोन और फिर जामली ले गये थे, जहां पर सोनाली ने उन्हें बताया था कि ससुराल वालों ने चुहा मार दवा पिलायी थी, तब उन्होंने पुलिस अधीक्षक बड़वानी को लेखी रिपोर्ट की थी, ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक को की गयी रिपोर्ट तथा विवाह के बाद से रिपोर्ट लिखाये जाने की दिनांक के पूर्व इस घटना की रिपोर्ट फरियादिया एवं उसके मायके वालों द्वारा नहीं करवाया जाने से उनके विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

39. इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त प्रवीण जो कि सोनाली (अ.सा.1) का पति है, द्वारा विवाह के बाद से लेकर मार्च 2007 के मध्य तक सोनाली से दहेज के रूप में धनराशि की मांग की तथा फरियादिया ने उक्त मांग की पूर्ति करते हुए कुल मिलाकर रूपये 1,20,000/- अभियुक्त की मांग करने पर माता-पिता से लाकर उसे दिये तथा पुनः मांग की पूर्ति

नहीं करने पर सोनाली के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया तथा चुहे मार की दवा पिलाई । अभियुक्त प्रवीण का उक्त कृत्य भा.द.वि. की धारा-498(ए) की अपराध की श्रेणी में आता है, जो अभियोजन प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त प्रवीण को भा.द.वि. की धारा-498(ए) के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है ।

40. अभियुक्त प्रवीण के जमानत-मुचलके निरस्त किये जाते हैं ।

41. जहां तक अभियुक्तगण कमलाबाई, ज्योति तथा भावना के विरुद्ध उक्त अपराध का संबंध है, वहां फरियादिया स्वयं ने स्वीकार किया है कि उक्त अभियुक्तों का विवाह उसके विवाह के पूर्व ही हो गया था और वे अपने ससुराल में ही निवास करती हैं तथा उनका अंजड़ कम आना होता था । फरियादिया ने या किसी अन्य साक्षी ने उक्त अभियुक्तों द्वारा फरियादिया के साथ दहेज की मांग कर मारपीट, कूरता किये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है । यहां तक कि सोनाली ने स्वीकार किया है कि जब उसे चुहा मार दवाई पिलायी गयी थी, तब उक्त महिला अभियुक्तगण उनके ससुराल में ही थी, ऐसी स्थिति में उक्त अभियुक्तों द्वारा सोनाली के साथ दहेज की मांग कर मारपीट, कूरता किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। साथ ही अभियुक्त रवि उर्फ रविन्द्र ने फरियादिया के साथ दहेज की मांग कर उसे मारपीट और कूरता कर प्रताड़ित किया के संबंध में भी अभियोजन साक्षियों के कोई स्पष्ट कथन नहीं हैं, ऐसी स्थिति में अभियुक्त कमलाबाई, ज्योतिबाई, भावना और रवि उर्फ रविन्द्र शास्त्री के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-498(ए) का अपराध प्रमाणित नहीं होता है । अतः उक्त अभियुक्तों को फरियादिया सोनाली के विरुद्ध किये गये भा.द.वि. की धारा-498(ए) के अपराध के लिये संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। उक्त अभियुक्तों के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

42. सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.

#### पुनश्च:

43. सजा के प्रश्न पर अभियुक्त प्रवीण एवं उसके अधिवक्ता को सुना गया, उनका तर्क है कि अभियुक्त गरीब ग्रामीण और अल्प शिक्षित है, लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ।

44. यह सही है कि अभियुक्त लम्बे समय से विचारण का सामना कर रहा है, लेकिन अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा समाज में बढ़ रहे ऐसे अपराधों को देखते हुए अभियुक्त प्रवीण सहानुभूति का पात्र प्रतीत नहीं होता है । अतः अभियुक्त प्रवीण पिता बसंत शास्त्री निवासी अंजड़ को भा.द.वि. की धारा-498 (ए) के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000/-रुपये (अक्षरी दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 1 माह के कारावास से दण्डित किया जाता है ।

46. अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जाए । अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि को मुख्य दण्डादेश में समायोजित किया जाए ।

47. अर्थदण्ड की राशि अदा करने पर अर्थदण्ड की राशि में से 1,000/—रूपये फरियादिया सोनाली पति प्रवीण शास्त्री, आयु-25 वर्ष, निवासी जामली जिला खरगोन को प्रतिकर स्वरूप दिये जाए ।

48. अभियुक्तगण के द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के प्रमाण-पत्र बनाये जाए ।

49. निर्णय की एक प्रतिलिपि अभियुक्त प्रवीण को निःशुल्क दी जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.